



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228553
CG-DL-E-29072021-228553

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2777]
No. 2777]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/ श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/ SRAVANA 7, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का.आ. 2988(अ).—केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख कर पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 3484 (ई) के क्रम में, एतद्वारा, गुजरात में सिक्का पत्तन को दिनांक 31.08.2021 से 30.08.2021 तक की अवधि के लिए समुद्र के रास्ते भारत में पेट्रोलियम का आयात करने हेतु अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी-25018/2/2018-पीडी-VII]

अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PORTS WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2021

S.O. 2988(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Shipping No. S.O. 3484(E) dated 17th July, 2018, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Sikka Port in Gujarat for importing petroleum into India by Sea for a period from 31.08.2021 to 30.08.2024.

[F. No. PD-25018/2/2018-PD-VII]

ARVIND CHAUDHARY, Economic Adviser